न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 55/2019

1. सावंरमल उम्र 26 वर्ष पुत्र श्री सुण्डाराम,जाति मीणा, निवासी खटकड़, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं।
2. प्रहलाद सिंह उम्र23 वर्ष पुत्र श्री सूण्डाराम, जाति मीणा निवासी खटकड़, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।
3. हर्षाराम उम्र20 वर्ष पुत्र श्री सुण्डाराम, जाति मीणा, निवासी खटकड़,तहसील उदयपरवाटी।

–अपीलार्थी

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं।

– रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार गुढागौड़जी
उनवानी सरकार बनाम सांवरमल वगैरह अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 48/2019 निर्णय दिनांक 07.11.2019

उपस्थितिः–

1 श्री महीपाल सिंह कपूरिया, एडवोकेट ———————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट————————————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 10.02.2021

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 07.11.2019 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम सांवरमल वगैरा मु0नं0 48/2019 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार तहसीलदार गुढा गोड़जी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि– अदालत मातहत नायब तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.11.2021 विरूद्ध कानून एवं पत्रावली है। उक्त प्रकरण में अपीलांटस सांवरमल व हर्षा को निर्णय दिनांक 07.11. 2019 से पूर्व सुनवाई का कोई नोटिस नहीं दिया जिससे अपीलांटस जवाबदेही [illegible] सबूत

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.03.04 17:41:13 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

पेश करने से वंचित हो गये। अदालत मातहत ने प्राकृतिक कानून के मूलभूत सिद्धांतो का उल्लंघन किया है। प्रकरण में अपीलांट के भाई प्रहलाद को नोटिस दिया जाकर तामील मानी गई है, जो कानूनन सही नहीं है, बल्कि नोटिस पीड़ित व्यक्ति को असालतन या अन्य रीति व कानून से तामील करवाना आवश्यक था। उपरोक्त आराजीयात पर अपीलांटस व इनके पिता का कब्जा सम्वत 2050 से लेकर अबतक बिना किसी रूकावट के चला आ रहा है और अपीलांटस उक्त आराजीयात पर रिहायश भी करता है तथा पशु वगैरह भी बांधते हैं। अपीलांट भूमिहीन व्यक्ति है, इसलिये उपरोक्त आराजीयात का नियमन किये जाने में कोई रूकावट नहीं है। उपरोक्त आराजीयात के खसरा परिवर्तित निर्धारण तथा गैर मुस्तकिल काश्त सम्वत 2057, 2065, 2073 आद में काश्त का अंकन है व फसल गंवार, बाजरा, चौला आदि की अपीलांटस के द्वारा काश्त किया जाना उपरोक्त राजस्व दस्तावेजात में अंकन दर्ज है व लगान का निर्धारण भी दर्ज है, मगर फिर भी योग्य अदालत मातहत ने उपरोक्त सभी साक्ष्य को नजर अंदाज कर अपीलांटस के विरूद्ध उक्त प्रकरण में निर्णय दिनांकित 07.11.2019 पारित कर अहम कानूनी भूल की है। प्रकरण दर्ज होने के बाद में प्रथम तारीख पेशी दिनांक 21.10.2019 पर गैर सायल प्रहलाद के द्वारा जवाब पेश किया गया है गैर सायल सांवरमल व हर्षा के द्वारा कोई जवाब नोटिस पेश नहीं किया गया। मगर अदालत मातहत ने सभी गैर सायलान की तरफ से प्रहलाद द्वारा जवाब पेश किया जाना दर्ज कर पत्रावली अग्रिम तारीख पेशी 07.11.2019 नियत की गई और 07.11.2019 को ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर अहम कानूनी भूल की है। अपीलांट का प्रकरण नियमन योग्य है। प्रकरण नियमन कमेटी के समक्ष भेजा जाना चाहिये था। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अतिक्रमी भाग का कुल रकबा 0.75 हैक्टर का योग आता है जबकि अदालत मातहत ने अपने उक्त निर्णय के द्वारा अपीलांटस को उपरोक्त आराजीयात के रकबा 0.85 हैक्टर से बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया है। अदालत मातहत द्वारा बेदखली के आदेश में भिन्नता है, इसलिए भी न्यायहित में पारित निर्णय काबिले खारिज है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.11.2019 को खारिज फरमाया जावे व उपरोक्त आराजीयात को अपीलांट को नियमन किये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी नियमन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत कर नियमन की सिफारिस की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.03.04 17:41:13 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झनू

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि – उक्त प्रकरण में अपीलांटस सांवरमल व हर्षा को निर्णय दिनांक 07.11.2019 से पूर्व सुनवाई का कोई नोटिस नहीं दिया जिससे अपीलांटस जवाबदेही व साक्ष्य सबूत पेश करने से वंचित हो गये। अदालत मातहत ने प्राकृतिक कानून के मूलभूत सिद्धांतो का उल्लंघन किया है। प्रकरण में अपीलांट के भाई प्रहलाद को नोटिस दिया जाकर तामील मानी गई है, जो कानूनन सही नहीं है, बल्कि नोटिस पीड़ित व्यक्ति को असालतन या अन्य रीति व कानून से तामील करवाना आवश्यक था। उपरोक्त आराजीयात पर अपीलांटस व इनके पिता का कब्जा सम्वत 2050 से लेकर अब तक बिना किसी रूकावट के चला आ रहा है और अपीलांटस उक्त आराजीयात पर रिहायश भी करता है तथा पशु वगैरह भी बांधते हैं। अपीलांट भूमिहीन व्यक्ति है, इसलिये उपरोक्त आराजीयात का नियमन किये जाने में कोई रूकावट नहीं है। उपरोक्त आराजीयात के खसरा परिवर्तित निर्धारण तथा गैर मुस्तकिल काश्त सम्वत 2057, 2065, 2073 आद में काश्त का अंकन है व फसल गंवार, बाजरा, चौला आदि की अपीलांटस के द्वारा काश्त किया जाना उपरोक्त राजस्व दस्तावेजात में अंकन दर्ज है व लगान का निर्धारण भी दर्ज है, मगर फिर भी योग्य अदालत मातहत ने उपरोक्त सभी साक्ष्य को नजर अंदाज कर अपीलांटस के विरूद्ध उक्त प्रकरण में निर्णय दिनांकित 07.11.2019 पारित कर अहम कानूनी भूल की है। प्रकरण दर्ज होने के बाद में प्रथम तारीख पेशी दिनांक 21.10.2019 पर गैर सायल प्रहलाद के द्वारा जवाब पेश किया गया है गैर सायल सांवरमल व हर्षा के द्वारा कोई जवाब नोटिस पेश नहीं किया गया। मगर अदालत मातहत ने सभी गैर सायलान की तरफ से प्रहलाद द्वारा जवाब पेश किया जाना दर्ज कर पत्रावली अग्रिम तारीख पेशी 07.11.2019 नियत की गई और 07.11.2019 को ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर अहम कानूनी भूल की है। अपीलांट का प्रकरण नियमन योग्य है। प्रकरण [illegible] कमेटी के समक्ष भेजा जाना चाहिये था। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अतिक्रमी भा[illegible] कुल रकबा 0.75 हैक्टर का योग आता है जबकि अदालत मातहत [illegible] के द्वारा अपीलांटस को उपरोक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.03.04 17:41:13 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झनू

आराजीयात के रकबा 0.85 हैक्टर से बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया है। अदालत मातहत द्वारा बेदखली के आदेश में भिन्नता है, इसलिए भी न्यायहित में पारित निर्णय काबिले खारिज है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.11.2019 को खारिज फरमाया जावे तथा उपरोक्त आराजीयात को अपीलांट को नियमन किये जाने हेतु उपखण्ड स्तरीय नियमन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत कर नियमन की सिफारिस की जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है । अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर निर्णय पारित किया गया है । पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से हल्का पटवारी केड की रिपोर्ट दिनांक 3.10.2019 के अनुसार अपीलांट द्वारा भूमि खसरा नंबर 1124 रकबा 0.87 हैक्टर किस्म बंजड़ द्वितीय के 0.60 हैक्टर व खसरा नंबर 1104 रकबा 0.15 हैक्टर सम्पूर्ण पर तथा खसरा नंबर 1129 रकबा 0.60 हैक्टर किस्म बंजड द्वितीय के 0.10 हैक्टर पर अपीलांट द्वारा फसल काश्त कर अनाधिकृत कब्जा करना बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को नोटिस जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किया गया है, लेकिन पुराने कब्जे के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है। अपीलांट द्वारा ना ही हाजा न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई जिससे अतिक्रमित भूमि पर अपीलांट काब्जा वैद्य साबित होता हो। विवादित भूमि राजकीय भूमि है जिसका अभी नियमन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.03.04 17:41:13 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी का निर्णय दिनांक 07.11.2019 मु. नं. 48/19

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झनू

सरकार बनाम सांवरमल यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

10/2/2021

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 10.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/2/2021

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.03.04 17:41:13 IST
Reason: SelfAttested